

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प खींवासर

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

1. श्रवणकुमार पुत्र स्व. सोहनराम जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. जयन्ती पत्नी श्रवणकुमार जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. गोपालराम
 2. राजूराम
 3. नूरी
 4. रूकमणी
 5. सावित्री
 6. इन्द्रचन्द
 7. हंसराज
 8. समुन्दर पुत्र खेमराम जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तह. व जिला चूरु (राज.)
 9. भजनीदेवी पत्नी
 10. भंवरलाल पुत्र
 11. रामनिवास पुत्र
 12. सन्तोष पुत्री
 13. तारामणी पुत्री
 14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरु (राज.)
- पुत्र-पुत्री नोरंगराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
- पुत्रगण स्व. सोहनराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
- स्व. बिड़दाराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 99 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुदईब एवं प्रतिवादीगण स्वयं व श्री पंकज बागोरिया एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

लोक अदालत की भावना से वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पेश दस्तावेजात् एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 104, 105, 203, 205, 217, 218, 228, 230, 231 तादादी कमशः 3.8951, 20.5757, 2.1499, 6.6363, 0.6577, 0.6577, 5.1345, 5.0351, 2.6032, 2.6032, 45.4134 हैक्टेयर रोही ग्राम कानड़वासी तहसील चूरु में से वादी सं. 1 के 5.9187 हैक्टेयर, वादिनी सं. 2 के 5.9187 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 1 के 0.9990 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 2 के 0.2656 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 3 से 5 के प्रत्येक के 2.7696 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 6 के



उपखण्ड अधिकारी
चूरु

3.1743 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 7 के 4.8056 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 8 के 14.3663 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी सं. 9 से 13 के 2.7695 हैक्टेयर ब.हि.व. हिस्सों के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर मौके पर खातेदारों के कब्जा काश्त एवं राजीनामा में अंकितानुसार खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। वादगत कृषि भूमि में वादिनी सं. 2 का नाम जयन्ती के स्थान पर जयवन्ती दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30 माह नवम्बर सन् 2021 को प्रशासन गांवों के संय अभियान 2021 कैम्प खींवासर के मजमे आम में जारी की गई।



(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
चूरु

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, चूरु

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

1. श्रवणकुमार पुत्र स्व. सोहनराम जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. जयन्ती पत्नी श्रवणकुमार जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. गोपालराम
 2. राजूराम
 3. नूरी
 4. रुकमणी
 5. सावित्री
 6. इन्द्रचन्द्र
 7. हंसराज
 8. समुन्दर पुत्र खेमराम जाति नाई (गोयल) निवासी खींवासर तह. व जिला चूरु (राज.)
 9. भजनीदेवी पत्नी
 10. भंवरलाल पुत्र
 11. रामनिवास पुत्र
 12. सन्तोष पुत्री
 13. तारामणी पुत्री
 14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरु (राज.)
- पुत्र-पुत्री नोरंगराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
पुत्रगण स्व. सोहनराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
स्व. बिड़दाराम जाति नाई (गोयल) निवासी
ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरु (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 99 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री अनवर खान एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब एवं श्री पंकज बागोरिया एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 104, 105, 203, 205, 217, 218, 228, 230, 231 तादादी कमश: 3.8951, 20.5757, 2.1499, 6.6363, 0.6577, 0.6577, 5.1345, 5.0351, 2.6684 कुल तादादी 45.4134 हैक्टेयर रोही ग्राम कानड़वासी तहसील चूरु में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता




उपखण्ड अधिकारी
चूरु

विभाजन निम्नानुसार किया जाकर अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं. मय आसापासा	तादादी (हैक्टेयर में)	लगान
1.	गोपालराम पुत्र नोरंगराम हि. 79/976, राजूराम पुत्र नोरंगराम हि. 21/976, नूरी पुत्री नोरंगराम हि. 219/976 रूकमणी पुत्री नोरंगराम हि. 219/976, सावित्री पुत्री नोरंगराम हि. 219/976, भजनी पत्नी विड़दाराम, भंवरलाल, रामकिशन, सन्तोष, तारामणी पि. विड़दाराम राहिन 219/976 हि. ब.हि.व. BRKGB शाखा खींवासर जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार	104	3.8951	-
		203	2.1499	
		217	0.6577	
		230	3.0351	
		228 मी.	2.6051	
	किता-5	12.3429		
2.	श्रवणकुमार पुत्र सोहनराम जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार	105 मी.	4.8056	-
3.	इन्द्रचन्द पुत्र सोहनराम जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार राहिन BRKGB शाखा खींवासर	105 मी.	3.1743	-
4.	हंसराज पुत्र सोहनराम जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार राहिन BOB शाखा चूरु	105 मी.	4.8056	-
5.	समुन्द्र पुत्र खेमराम जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार	105 मी.	4.4009	-
		205	6.6393	
		218	0.6577	
		231	2.6684	
		किता-4	14.3663	
6.	जयवन्ती पत्नी श्रवणकुमार जाति नाई निवासी खींवासर खातेदार राहिन BRKGB शाखा खींवासर	105 मी.	3.3893	-
		228 मी.	2.5294	
		किता-2	5.9187	

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह अन्तिम डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07 माह जनवरी सन् 2022 को खुले न्यायालय में जारी की गई।



(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
चूरु